निजीकरण व शिक्षा (Privatisation and Education) :-

आज शिक्षा के क्षेत्र में निजीनिवेश अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ रहा है तथा इसने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। निजीकरण से तात्पर्य उन क्रियाओं, जिन्हें पूर्व में सरकार द्वारा संचालित किया जाता था। जिनको किसी निजी उद्यमी या संस्था को संचालन हेतु हस्तान्तरित करने की प्रक्रिया से है। व्यावहारिक रूप से निजीकरण से तात्पर्य स्वामित्व में एक सार्थक परिवर्तन अर्थात् सरकारी स्वामित्व के स्थान पर निजी स्वामित्व को स्वीकार करना मात्र है। सरकारी प्रबन्ध व स्वामित्व के विपरीत निजीकरण में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। लागत कम होती है तथा गुणवत्ता में उन्नयन होता है। भारत में निजीकरण की प्रक्रिया सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी है। आज केन्द्र व राज्यों की सरकारों के द्वारा पूर्व में आरोपित बन्धाकारी नियमों को काफी हद तक निरस्त कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रवृत्ति सभी स्तरों पर अत्यन्त तेजी से विकसित हो रही है। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर खुली अनेक निजी शिक्षा संस्थाओं के साथ-2 अनेक निजी महाविद्यालय व निजी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। सरकार द्वारा संस्थाओं को स्ववित्त पोषित (Self financing) मान्यता देने की अवधारणा ने निजीकरण को तेजी से पंख पसारने के अवसर दिये हैं। चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन तथा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में तो निजी शिक्षा संस्थाओं की बाढ़ सी आ गयी है। कुछ निजी शिक्षा संस्थाओं

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

के द्वारा प्रदान की जा रही है।

परन्तु शिक्षा के निजीकरण के लाभ तथा हानि दोनों ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जहाँ कुछ उच्च स्तरीय संस्थाएँ प्रतिस्पर्धा के इस युग में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सक्रिय हैं वहीं दूसरी ओर अनेक निजी संस्थाएँ अपनी स्तरहीन योजनाओं के माध्यम से छात्रों व अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रही हैं। निःसन्देह सरकार द्वारा संचालित व सम्पोषित अनेक शिक्षा संस्थाओं की दयनीय स्थिति सभी के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है। आधारभूत सुविधाओं जैसे- कक्षा-कक्षों, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, व सामग्री, शिक्षक आदि की समुचित व्यवस्था न होने के कारण इनका शिक्षण स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। शिक्षक व छात्र दोनों ही राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन व कोचिंग पढ़ाया जाता है, स्कूल में कक्षाएँ नहीं के बराबर चलती हैं। निजी विद्यालय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय उच्च स्तर की गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं परन्तु शुल्क संरचना के अत्यधिक महंगी होने के कारण उनका लाभ केवल अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित रह जाता है। निजी विश्वविद्यालयों तथा स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बरकरार रखने की एक गम्भीर समस्या बन गई है। प्रजातंत्र में कोई भी उत्तरदायी सरकार अपने नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के दायित्व से मुकरने का जोखिम नहीं उठा सकती है। इसलिए शिक्षा के निजीकरण के सम्बंध में

Scanned with CamScanner

एक स्पष्ट परन्तु जवाबदेही से भरपूर राष्ट्रीय नीति के निर्माण की आवश्यकता है। अतः प्राथमिक शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने से यथासम्भव बचा जाना चाहिए जबकि माध्यमिक व उच्च शिक्षा का सावधानी पूर्वक आंशिक निजीकरण करने पर सकारात्मक दृष्टि से विचार करना उपयुक्त हो सकता है। परन्तु निजीकरण के बावजूद अभिभावकों को आर्थिक शोषण से छात्रों को शैक्षिक शोषण से तथा अध्यापकों को वृत्तिक शोषण से बचाने के लिए एवं शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner